छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-13

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी, 2014

(माघ-22, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री दलेश्वर साहू, सदस्य डोंगरगाव का आज जन्मदिवस है। माननीय अध्यक्ष ने अपने तथा सदन की ओर से उन्हें बधाई दी।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया में डोंटू नदी में निर्माणाधीन एनीकट में नरबलि देने संबंधी घटना पर प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर प्रश्नकाल को स्थगित कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया कि प्रश्नकाल चलने दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण है इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा कर लेंगे।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि आप सभी नियम प्रक्रियाओं से अवगत हैं प्रश्नकाल भी सबसे महत्वपूर्ण काल होता है । स्थगन की सूचना विचाराधीन होने पर प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाता । प्रश्नकाल के पश्चात् निश्चित ही आपकी बात सुनी जायेगी और इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में कभी ऐसा उदाहरण नहीं रहा कि प्रश्नकाल रोक कर स्थगन पर चर्चा कराई गई हो । शासन हर विषय पर चर्चा के लिये तैयार है प्रश्नकाल के बाद इसको जिस तरह से चाहें आप स्वीकार कर लें ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से पुनः आग्रह किया कि प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री द्वारा आसंदी से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - परंपराओं का पालन करते हुए प्रश्नकाल चलने दें। आधे घंटे बाद आप जो चर्चा चाहते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। मुझे स्थगन पर टीप प्राप्त हो गई है। प्रश्नकाल के पश्चात् यथा आवश्यक निर्णय लिया जावेगा।

4. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 19 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03 के प्रस्तुतकर्ता सदस्यों द्वारा उपस्थित रहकर भी प्रश्न नहीं पूछे गए तथा प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.35 बजे स्थगित की जाकर 12.03 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

5.स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला बेमेतरा में मालामोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा एक बच्चे को अगुवा कर बलि देने संबंधी 28 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किए जाने का अनुरोध करते हुए सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, अमित अजीत जोगी, अरूण वोरा तथा नेता प्रतिपक्षप टी.एस.सिंहदेव ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य किए जाने का अनुरोध करते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

6. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य न करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.प्रीतम राम, श्री भूपेश बघेल, सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) सर्वश्री मोहन मरकाम, दीपक बैज, सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

8. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री दलेश्वर साहू
2. डॉ.विमल चोपड़ा
3. श्री रामदयाल उइके
4. श्री अमरजीत भगत
5. श्री केशव चंद्रा

9. वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

डॉ.खिलावन साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री संतोष बाफना, डॉ.विमल चोपड़ा, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमित अजीत जोगी, लाभचंद बाफना, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती चंपादेवी पावले,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

श्री कवासी लखमा, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, श्रीमती अनिला भेंडिया, डॉ.सनम जांगड़े, सर्वश्री मोहन मरकाम, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री लखन देवांगन,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्रीमती देवती कर्मा, श्री अवधेश सिंह चंदेल, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 6.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 12 फरवरी, 2014 (माघ 23, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा